

गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु दशा-नरिदेश और आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीतिआयोग ने गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु सार्वजनिक और नजी भागीदारी (पीपीपी) के लिये दशा-नरिदेशों के साथ ही आदर्श छूटग्राही अनुबंध का मॉडल भी जारी किया।

प्रमुख बंदि

- इस अनुबंध मॉडल के ज़रयि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के जला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों (हृदय रोग, कैंसर और फेफड़ों) से संबंघति बीमारयिों की रोकथाम और उपचार की पूरक व्यवस्था की गई है।
- नीतिआयोग ने स्वास्थय एवं परवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्वास्थय सेवा क्षेत्र के प्रतनिधियिों के साथ मलिकर इसे तैयार किया है।
- नीतिआयोग ने देश पर बीमारयिों के बोझ में गैर-संचारी रोगों का प्रतशित पछिले कुछ वर्षों से बढ़ने के कारण ये दशा-नरिदेश जारी कयि हैं।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार के लिये सार्वजनिक नजी भागादारी इकाइयों ज़ला अस्पतालों में खोली जाएंगी।
- आदर्श छूटग्राही अनुबंध मॉडल के तहत तीन गैर-संचारी रोगों- हृदय रोग, कैंसर और फेफड़ों से संबंघति बीमारयिों की रोकथाम और उपचार को शामिल किया गया है।
- इस अनुबंध मॉडल के तहत कैंसर, श्वसन रोग तथा हृदय रोग के प्रभाव को घटाने के साथ ही कैंसर रोग में कीमोथेरेपी और हारमोन थेरेपी के ज़रयि इलाज करना, श्वसन रोग में दवाइयों के ज़रयि आपात चकितिसा प्रबंधन एवं हृदय रोग में एनजियोग्राफी-एनजियोप्लासटी और दवाइयों के ज़रयि आपात चकितिसा प्रबंधन को शामिल करके सेवाओं का वसितार किया गया है।
- सार्वजनिक जन भागीदारी के तहत ये सेवाएँ एकल साझेदार या नजी साझेदारों के एकल समूह द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
- नजी भागीदारों को इन इकाइयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के उन्नयन और उनके संचालन प्रबंधन के लिये नविश करना होगा।
- सरकार द्वारा ज़मीन और अन्य ढाँचागत सुवधिएँ 'जहाँ हैं जैसी हैं' के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा अस्पतालों में सभी तरह की सुवधियों के लिये भी सरकार द्वारा मदद की जाएगी। कम पड़ने वाली राशिकी व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाएगी।
- रोगयिों से सेवाओं के बदले ली जाने वाली शुलक की दरें राज्यों और केंद्रों सरकारों द्वारा तय बीमा योजनाओं के आधार पर वसूली जाएंगी। जनि राज्यों में ऐसे बीमा पैकेज नहीं होंगे वहाँ लाभार्थी सीजीएचएस पैकेज की सुवधि ले सकेंगे।